न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस

अपील संख्या 130 / 2017 एल आर एक्ट (GCMS No 1988/00001)
अनवान पारी वगैरह बनाम ग्राम पंचायत अयालकी, हेतराम वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ दिनांक 07.03.1988

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.2021	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारिक ने दो अलग –अलग प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलान्ट सं. 2 रूधाराम एवं रेस्पोडेन्ट हेतराम का देहान्त होने की सूचना दी। जिस पर अभिभाषक अपीलान्ट को अपीलान्ट सं. 2 रूधाराम के संबध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने अथवा उनके वारिसानो को रिकॉर्ड पर लेने की कार्यवाही करने तथा रेस्पोडेन्ट हेतराम के वारिसानो को रिकॉर्ड पर लेने की कार्यवाही करने हेतु अवसर दिये गये। अभिभाषक अपीलांट को बार –बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज तारीख पेशी तक इनके बारे में ना तो वस्तुस्थिति स्पष्ट की और ना ही उनके वारिसानो को रिकॉर्ड पर लेने की कार्यवाही की। प्रकरण वर्ष 1988 से विचाराधीन चल रहा है। न्याय की वांछा करने वाले पक्षकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उन व्यक्तियो के नाम पते व जानकारी न्यायालय को दे जिनके विरूद्ध वह उपचार चाहता है। इस प्रकार अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द करने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही करने के कारण यह अपील अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब,तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर	